सं. ए.12018/4/2020-डीआर-(भाग.VI)
भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग
(औषधि विनियमन अनुभाग)

*****

दिनांक: 16 अगस्त, 2022

सूचना

यह मंत्रालय केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला (सीडीएल),चेन्नई, केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में मल्टी टास्किंग स्टॉफ के पद के भर्ती नियमों में संशोधन के प्रस्ताव की जांच कर रहा है। इस संबंध में भर्ती नियमावली का मसौदा तैयार किया गया है, जिसकी प्रति संलग्न है।

2. इसे अंतिम रूप देने से पहले, इस मामले में सभी हितधारकों से टिप्पणियां, यदि कोई हों, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की वेबसाइट पर इस अधिसूचना की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर आमंत्रित की जाती हैं। हितधारकों से निर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त टिप्पणियों/आपत्तियों/सुझावों पर भर्ती नियमों को अंतिम रूप देने से पहले मंत्रालय द्वारा नियमों/आवश्यकता के अनुसार विचार किया जाएगा।

3. कृपया टिप्पणियां अधोहस्ताक्षरी को कमरा संख्या 407- ए, ' ए' विंग, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011में या drugsdiv-mohfw@gov.in पर भेजें।

संलग्नक: उपर्युक्तानुसार

किरण कुमार कल्पि

(डॉ. किरण कुमार कर्लापु)
उप सचिव, भारत सरकार
दूरभाष:- 011-23062928

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में लेवल या वेतनमान	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं
1	2	3	4	5	6	7
मल्टी टास्किंग स्टॉफ	*10 *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केंद्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स का लेवल – 1 (18000-56900)	लागू नहीं	18 और 25 वर्ष के बीच	मैट्रिक या समकक्ष उत्तीर्ण।

क्या सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या स्थानांतरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं	सीधी-भर्ती हेतु दो वर्ष	कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।

प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ स्थानांतरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ स्थानांतरण किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने की किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)

लागू नहीं	पुष्टि/पदोन्नति पर विचार करने के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति: 1. निदेशक, सीडीटीएल, चेन्नई - सदस्य 2. उप. औषधि नियंत्रक (आई), सीडीएससीओ (एसजेड), चेन्नई- सदस्य 3. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक के अधीन कार्यालय/प्रयोगशाला के समूह 'क' अधिकारी - सदस्य	लागू नहीं।

[फा. सं. ए.12018/4/2020-डीआर-(भाग.VI)]

(डॉ. किरण कुमार कर्लापु)

उप सचिव, भारत सरकार